प्रेस विज्ञप्ति

23.04.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 22.04.2026 को चंडीगढ़, पंचकुला, जीरकपुर, डेरा बस्सी और राजपुरा (पटियाला) में स्थित कोटक महिंदा बैंक नगर निगम पंचकुला धोखाधड़ी मामले से जुड़े 12 परिसरों में तलाशी ली। तलाशी के परिणामस्वरूप धन शोधन के अपराध से संबंधित बिक्री खरीद समझौतों और विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेजों और सबूतों को जब्त किया गया।

ईडी ने इस मामले में एसीबी, पंचकुला, हरियाणा द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 और पीसी एक्ट, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत कोटक महिंद्रा बैंक के अज्ञात अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर से पता चलता है कि अज्ञात बैंक अधिकारियों द्वारा गहरी जड़ें जमाए, संगठित आपराधिक षडयंत्र के तहत नगर निगम, पंचकुला के 145 करोड़ रुपये के फंड का गबन किया गया है।

पीएमएलए की अब तक की गई जांच से पता चला है कि नगर निगम के अधिकारी, बैंक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के एक गहरे आपराधिक गठजोड़ ने सरकारी धन के गबन की साजिश रची थी। प्रथम दृष्टया जांच से पता चला है कि दिलीप कुमार राघव (ग्राहक संबंध प्रबंधक, कोटक महिंद्रा बैंक) ने पुष्पेंद्र सिंह (उप उपाध्यक्ष, कोटक महिंद्रा बैंक) के साथ मिलकर विकास कौशिक (पूर्व वरिष्ठ लेखा अधिकारी, एमसी, पंचकूला) के सहयोग से नगर निगम, पंचकूला के नाम से जाली और नकली प्राधिकरण दस्तावेजों के माध्यम से दो बैंक खाते खोले। एमसी, पंचकूला के वास्तविक खातों में उपलब्ध धन को एमसी, पंचकूला के नाम से जाली और नकली निधि प्रवासन प्राधिकरण पत्रों का उपयोग करके अनधिकृत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा, एमसी, पंचकूला के नाम से प्राप्त नकली और जाली प्राधिकरण पत्रों के जवाब में बैंक अधिकारियों द्वारा लेनदेन के लिए प्राधिकरण मांगने के लिए अनधिकृत ईमेल आईडी का उपयोग किया गया। जबकि पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयानों में एमसी अधिकारी द्वारा बताया गया कि अधिकृत ईमेल आईडी अलग-अलग थे। इसके अलावा, आपराधिक गठजोड़ द्वारा एमसी, पंचकूला के नाम पर खोले गए अनधिकृत बैंक खातों में अवैध रूप से हस्तांतरित धन का उपयोग रजत दहरा, स्वाति तोमर, कपिल कुमार, विनोद कुमार जैसे फाइनेंसरों को आगे हस्तांतरण के लिए किया गया। ये धन वापस पुष्पेंद्र सिंह और प्रीति ठाकुर (पुष्पेंद्र सिंह की पत्नी) को भेज दिया गया। इस तरह के धन को रियल एस्टेट फर्मों और निजी व्यक्तियों को भी हस्तांतरित किया गया। हालांकि, एमसी पंचकूला के रिकॉर्ड एमसी पंचकूला के वास्तविक खातों से होने वाले ऐसे लेनदेन के बारे में अनजान थे। एमसी पंचकूला को जाली एफडीआर दस्तावेज दिए गए थे, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक, सेक्टर-11, पंचकूला में 145.03 करोड़ रुपये (लगभग) के निवेश को दर्शाया गया था, जिसकी परिपक्वता मूल्य लगभग 158.02 करोड़ रुपये थी।

इसलिए, 22.04.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत पुष्पेंद्र सिंह, रजत डाहरा, दिलीप कुमार राघव, विकास कौशिक, सनत रियल्टर्स, सनी गर्ग, कपिल कुमार के परिसरों में तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप अपराध-संकेती साक्ष्य जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।